न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

: 17/243

1. रामस्वरूप आत्मज स्व0 जगन्नाथ जी ।
2. प्रहलाद आत्मज स्व0 जगन्नाथ जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. पीर मोहम्मद आत्मज जुम्मा शाह जाति मुसलमान निवासी ग्राम लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. नन्ही बाई पत्नी श्री पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. स्व0 छीतर आत्मज स्व0 भूरया जाति माली निवासी ग्राम लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   - 3/1. मोहन आत्मज स्व0 छीतर जाति माली निवासी ग्राम लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 3/2. श्रीमती जमना बाई उर्फ जमा बाई पत्नी स्व0 श्री छीतर जाति माली निवासी ग्राम लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 3/3. श्रीमती छोटा बाई पुत्री स्व0 श्री छीतर जी पत्नी श्री सियाराम जाति माली निवासी ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक ।
4. मंगीलाल आत्मज श्री बजरंगा जाति माली निवासी ग्राम लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश , बून्दी जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

[illegible] में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर किया वादीगण अपने खाते की भूमि पर आराजी खसरा नम्बर 77 एवं 76 में होते हुए खसरा नम्बर 75 एवं 76 की मेर पर होकर पहुचते हैं । अतः आराजी खसरा नम्बर 75 से के मध्य 12 फुट का चौडा रास्ता वादीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुचने के लिए दिया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम जैतपुर में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 63 में से 02 बिस्वा जो प्रहलाद, रामस्वरूप पिसरान जगन्नाथ गुर्जर के खातेदारी में होकर अन्य सिवायचक खसरा नम्बर आदि को मिलाते हुए 12 बिस्वा में 20 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होना कथन करते हुए प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है ।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपने हित प्रभावित होना कथन किया है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं थी क्योंकि उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था और उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही पारित किया था । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.05.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित पक्षकार है । अतः वह कुछ दस्तावेज पेश करना चाहता है जिसे न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए को पक्षकार बनाये बिना ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णित कर । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार है और उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से हित व्यथित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने जिस भूमि आराजी खसरा नम्बर 63 की 02 बिस्वा पर से नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये हैं वह भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार है और उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में रास्ते हेतु राशि जमा करवा दी है । वादीगण रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए उक्त निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था जबकि आराजी खसरा नम्बर 63 की रकबा 02 बिस्वा आराजी जो रास्ते हेतु कायम किये जाने का आदेश पारित किया है वह भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं उन्हें न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णित कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार है और उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से हित व्यथित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने जिस भूमि आराजी खसरा नम्बर 63 की 02 बिस्वा पर से नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये हैं वह भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार है और उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक था । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

आपत्ति स्वीकार किया है । उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 03.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा